



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042024-253691  
CG-DL-E-13042024-253691

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1622]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2024/चैत्र 23, 1946

No. 1622]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2024/CHAITRA 23, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2024

का.आ. 1707(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या का.आ. 802 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) पैरा 1 के अधीन सारिनी में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“1 श्री प्रणब किशोर दास, आईएएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष;”

मकान नंबर 333 सेक्टर 2 मनसा देवी काम्प्लेक्स, पंचकुला

(ii) पैरा 2 के पश्चात निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

“2क. श्री प्रणव किशोर दास आईएस (सेवानिवृत्त) की कालावधि प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की कालावधि के साथ समाप्त हो जाएगी ”

[फा. सं. आईए 3-1/6/2021-आईए.III ]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), संख्या का0आ0 802(अ), तारीख 21 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2024

**S.O. 1707(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 802(E), dated the 21st February, 2022, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the table under paragraph 1, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

“1. Shri Pranab Kishore Das, IAS (Retd.)

House No. 333, Sector 2 Mansa Devi Complex, Panchkula

Chairman;”;

- (ii) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“2A. The tenure of Shri Pranab Kishore Das IAS (Retd.) shall be co-terminus with the tenure of the other members of the Authority.”.

[F.No. IA 3-1/6/2021-IA.III ]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

**Note.** - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 802(E), dated the 21st February, 2022.